निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी - बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 95/2016 दावा
दायरा दिनांक :- 12.7.2016
निर्णय दिनांक :- 27.9.2019

उनवान

राजू उर्फ शिवनन्दन पुत्र रामदयाल मुतबन्ना श्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी शाहबाद तह० शाहबाद

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण
2. केशव पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण
3. हेमन्त पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी फतेहपुर बारां
4. राजेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी मोरडुर तह० अटरू
5. सत्यनारायण पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी शाहबाद
6. मिथलेश बेवा कमलकिशोर जाति ब्राह्मण
7. जितेन्द्र पुत्र कमलकिशोर जाति ब्राह्मण
8. कौशल्या पुत्री कमल किशोर जाति ब्राह्मण
9. ब्रज पुत्र कमलकिशोर जाति ब्राह्मण
10. प्रीती पुत्री कमलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी तह० शाहबाद
11. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

दावा धारा 88,89,90,91,92,188 RTA

निर्णय दिनांक : 27.9.2021

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री बाबूलाल जैन - वादी
2. श्री ब्रजमोहन राठौड़ - प्रति०

अभिभाषक वादी [illegible] वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,90,91,92,188 RTA विरुद्ध [illegible] के आधार पर [illegible] लगातार - 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

आग्रह का पेश किया गया कि ग्राम फतेहपुर तह. बारां के ख.नं. 2192 रकबा 3.60 हे., ख.नं. 2193 रकबा 0.82 हे., ख.नं. 2197 रकबा 0.57 हे. कुल 3 किता रकबा 4.99 हे. भूमि स्थित है जो वर्तमान में रामजानकी पुत्री श्रीलाल कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज है तथा इसी प्रकार ग्राम बीजरी तह. बारां में ख.नं. 8 रकबा 0.16 हे. ख.नं. 21 रकबा 1.56 हे., ख.नं. 22 रकबा 0.48 हे. कुल 3 किता रकबा 2.20 हे. भूमि स्थित है जो भी वर्तमान में रामजानकी बाई जोजे रामदयाल ब्राह्मण नि. फतेहपुर के नाम दर्ज है। - रामजानकी श्रीलाल की पुत्री व रामदयाल की पत्नी है रामदयाल फौत हो गये है इस प्रकरण में ग्राम बीजरी की भूमियां के मालिक ख.नं. 2 व 12 थे तथा ग्राम फतेहपुर की भूमि के मालिक ख.नं. 1181 रकबा 33 बीघा 3 बिस्वा थी बाद उक्त भूमियां पूर्व श्रीलाल उर्फ भंवरलाल व कस्तूरीबाई, भंवरीबाई जोजे श्रीलाल के नाम दर्ज थी। - भंवरलाल का लड़का श्रीलाल हुआ व श्रीलाल की दो पत्नीयां - कस्तूरीबाई व भंवरीबाई हुई। इसके अलावा और कोई सन्तान नहीं हुई रामजानकी व रामदयाल के पुत्र से वादी व प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 तथा कमलकिशोर का जन्म हुआ। कमलकिशोर फौत हो गया है इस कारण प्रतिवादी क्र. 6 ता 10 उसके वारिस व कायम मुकाम है इस प्रकार इस प्रकरण में सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। श्रीलाल पुत्र भंवरलाल ने अपने जीवन काल में एक रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 9.3.78 को वादी के पक्ष का निष्पादित करवाया एवं वादी को कानून दत्तक पुत्र बनाया। इस रजिस्टर्ड गोदनामे के अनुसार श्रीलाल के मरने पर श्रीलाल की सम्पत्ति में 1/2 में वादी का 1/2 में रामजानकी बाई का नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने श्रीलाल के बाद समस्त भूमि में रामजानकी का नाम दर्ज कर दिया जो आज तक दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी बाद उक्त भूमियों में 1/2 भूमि का काश्त कर रहा है।

रामजानकी बाई का दिनांक 21.4.2014 को देहान्त हो गया है तथा अब विवादित भूमि में रामजानकी बाई के स्थान पर 1/2 हिस्से में वादी व 1/2 हिस्से में प्रतिवादी क्र. 1 ता 10 का नाम दर्ज होना चाहिये

लगातार-3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

8 | अन्य/क्षतिपूर्ति

Scanned with CamScanner

तथा जिसके लिए वादी अधिकारी एवं नालिशी है क्योंकि वादी का जो गोदनामा रजिस्टर्ड वह दिनांक 9.3.1978 का है तथा इस गोदनामे को निरस्त नहीं किया गया है। इन्तकाल नं. 79 दिनांक 15.10.62 को जो ग्राम फतेहपुर का तस्दीक किया गया है वह शून्य एवं प्रभावहीन है क्योंकि श्रीलाल को इस तरह का नामा. दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं था एवं नामा. से कोई अधिकार भी प्राप्त नहीं होते हैं

वादी वाद ग्रस्त भूमियों में इसके 1/2 हिस्से को निरन्तर काश्त कर रहा है किन्तु श्रीमान रामजानकी के फौत हो जाने से प्रतिवादी गण 1/2 हिस्से से ज्यादा भूमि काश्त करना चाहते है। जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं है दिनांक 8.5.2016 को प्रतिवादी गण जबरन वाद ग्रस्त भूमियों को काश्त करने आ गये। बामुश्किल वादी के समझाने से वापस गये लेकिन धमकी दी कि आज नहीं कल हम इन भूमियों को जबरन काश्त करके रहेंगे। जिसका प्रतिवादी गण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है अतः एवं वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी व नालिशी है। वाद कारण दिनांक 8.5.2016 को वादी को प्रतिवादी गण द्वारा जबरन भूमियां काश्त करने देने व नीज दिनांक 10.5.2016 को नोटिस देने के फलस्वरूप ग्राम घीसरी व फतेहपुर तह० बारां मे उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजि. कर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी गण की ओर से जवाब पेश नहीं होने के कारण दिनांक 24.9.18 को जवाब बन्द कर दिया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत 2072-75 खाता नं. 540, नकल जमाबन्दी ग्राम घीसरी सम्वत 2071-74 खाता 124, नकल खसरा क्षेत्रफल सम्वत 2038-2057, नकल जमाबन्दी ग्राम घीसरी सम्वत 2051-54, नकल जमाबन्दी ग्राम घीसरी सम्वत 2055-58 खाता 83, नकल नामा. नं. 123 ग्राम घीसरी, नकल जमाबन्दी ग्राम घीसरी सम्वत 2063-66, नकल जमाबन्दी सम्वत 2059-62 खाता नं. 124, [illegible] 2038-57, नकल फतेहपुर सम्वत 2052-55 [illegible] जमाबन्दी सम्वत 2056-59, नकल इन्तकाल 59 ग्राम फतेहपुर, [illegible] नामा. नं. 565 ग्राम फतेहपुर नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:02 IST
Reason: SelfAttested

लगातार...

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर 2016-19, नकल जमाबन्दी सम्वत 2020-23 नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत 2024-27, नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत 2032-35, नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर 2048-51 खाता 304, नकल गोदनामा दिनांक 9-3-1978 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर व धीनरी में स्थित है। वर्तमान में ग्राम फतेहपुर व धीनरी की भूमि रामजानकी बाई के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में श्रीलाल पुत्र मंगलाल व कस्तूरीबाई, मंगलीबाई जोजे श्रीलाल के नाम दर्ज थी। श्रीलाल की पत्नियां थी कस्तूरीबाई व मंगलीबाई. श्रीलाल की एक पुत्री थी जिसका नाम रामजानकी बाई था। रामजानकी बाई की शादी रामदयाल के साथ की थी। रामजानकी के वादी व प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 तथा कालकिशोर पुत्र पुत्रीया है कालकिशोर फौत हो गया है। उसके वारिसान प्र.क्र. 6 ता 10 है श्रीलाल जी ने अपने जीवन काल में एक रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 9.3.1978 को वादी के पक्ष में निष्पादित किया था। तथा वादी को अपना दत्तक पुत्र बनाया। श्रीलाल जी के मरने के बाद रजिस्टर्ड गोदनामे के अनुसार उनकी सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा वादी का तथा 1/2 हिस्सा रामजानकी का दर्ज होना चाहिये था। किन्तु श्रीलाल की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण भूमि में रामजानकी का नाम दर्ज कर दिया। जो आज तक दर्ज चला आ रहा है। वादी विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त कर चला आ रहा है। दिनांक 21-4-2014 को रामजानकी बाई का देहान्त हो गया है तथा रामजानकी के स्थान पर 1/2 हिस्से में वादी व 1/2 हिस्से में प्रति वादी क्र. 1 ता 10 का नाम दर्ज होना चाहिये वादी मुताबिक रजिस्टर्ड गोदनामा के अनुसार विवादित आराजी के अपना 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रति वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामे को निरस्त नहीं कराया है इसलिए वादी अपना हिस्सा 1/2 रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार किया जावे। ——x——x——

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:02 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-5

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

तहत अभिभाषक वादी दुर्गा शर्मा पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम फतेहपुर संवत 2072-75 खाता नं 540, नकल जमाबंदी ग्राम पीपरी संवत 2071-74 खाता नं. 124, के अनुसार रामजानकी पुत्री श्रीलाल कौम ब्राह्मण जो का० देह दर्ज होना पाया जाता है खिलाफ बन्दोबस्त संवत 2038-2051 ग्राम पीपरी के अनुसार ख.नं. 2 का हाल खसरा नम्बर 8 तथा साबिक ख.नं. 12 मि. का हाल ख.नं. 21 एवं ख.नं. 12 मिन का हाल ख.नं. 22 बना था। इसी प्रकार नकल खिलाफ बन्दोबस्त ग्राम फतेहपुर के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1181 के हाल खसरा नम्बर 2192, 2193, 2197 बने। जो वर्तमान मे दर्ज है, नकल जमाबंदी ग्राम पीपरी संवत 2051-54, एवं संवत 2055-58 के अनुसार मंगलबाई जौजे श्रीलाल हि. 1/3, रामजानकी जौजे रामदयाल हि. 2/3 दर्ज है, नकल नामा. नं. 123 दिनांक 21.6.2000 के अनुसार खातेदार मंगलबाई के फौत होने पर जानकीबाई के नाम फौती नामा. खोला गया। नकल जमाबंदी ग्राम पीपरी संवत 2063-66 के अनुसार रामजानकी बाई जौजे रामदयाल ब्राह्मण का नाम दर्ज रिकार्ड है, नकल जमाबंदी ग्राम फतेहपुर संवत 2052-55 मे मंगलबाई जौजे श्रीलाल, हि. 1/3 रामजानकी पुत्री श्रीलाल 2/3 दर्ज है, नकल जमाबंदी संवत 2056-59 मे जानकीबाई पुत्री श्रीलाल का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल नामा. नं. 79 ग्राम फतेहपुर मे श्रीलाल मरा 1/3 हिस्सा अपनी पुत्री रामजानकी बाई 1/3 हिस्सा पत्नी मंगलबाई तथा 1/3 हिस्सा पत्नी कस्तूरीबाई देकर नामा० मे स्वीकार किया गया जो सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। नकल नामा. नं. 565 ग्राम फतेहपुर; मंगलबाई की मृत्यु होने पर फौती नामा. खोला गया जिसमे रामजानकी का नाम दर्ज किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम फतेहपुर संवत 2016-19 के अनुसार एवं संवत 2020-23 एवं 2024-27 तथा संवत 2032-35 के अनुसार तथा संवत 2048-51 के अनुसार मंगलबाई, कस्तूरी बाई जौजे श्रीलाल रामजानकी पुत्री श्रीलाल का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल गोदनामा दिनांक 9-3-1978 के अनुसार श्रीलाल पुत्र मंगीलाल जाति ब्राह्मण द्वारा वादी राजू उर्फ शिवनन्दन [illegible] को दत्तक पुत्र मानते हुए गोदनामा रजिस्टर्ड ~~तस्दीक~~ निष्पादित [illegible] था तथा लगान नाम अमल

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

लगातार-6

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लगाई का स्वामी व दत्तक पुत्र शिवनारायण को मान लिया था। राजस्व उपरोक्त रिकार्ड व दस्तावेजों से यह साबित होता है कि विवादित आराजी ग्राम धीसरी व फतेहपुर के श्रीलाल पुत्र मदनलाल के खातेदारी में थी। श्रीलाल द्वारा 1/3, 1/3 भूमि अपनी पुत्री रामजानकी व पत्नी कस्तूरीबाई, मदनलाल के नाम दर्ज कराई गई थी। दिनांक 9.3.1978 को श्रीलाल द्वारा अपनी पुत्री रामजानकी के पुत्र शिवनारायण को गोद पुत्र रखा तथा रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित कराया गया। गोदनामे में पुत्र रामजानकी बाई को 1/3 हिस्से की भूमि तथा दत्तक पुत्र शिवनारायण को 2/3 हिस्से की भूमि, मकान तथा चल अचल सम्पत्ति का मालिक व स्वामी बनाया गया। परन्तु वादी द्वारा विवादित आराजी के 2/3 हिस्सा न लेकर अपने भाईयों का ध्यान रखते हुए मात्र 1/2 हिस्से की भूमि खाते दर्ज करने का अनुरोध मांगा गया है उपरोक्त रजिस्टर्ड गोदनामा के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी बांकु फतेहपुर के ख.नं. 2192 रकबा 3.60 हे. ख.नं. 2193 रकबा 0.82 हे., ख.नं. 2197 रकबा 0.57 हे. एवं ग्राम धीसरी की आराजी ख.नं. 8 रकबा 0.16 हे. ख.नं. 21 रकबा 1.56 हे. ख.नं. 22 रकबा 0.48 हे. भूमि पर वादी को 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी क्र. 1 ता 10 को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी गण को यह स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:02 IST
Reason: SelfAttested

दिव्यांशु शर्मा
उप खण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

...लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

...ख्या 95/16	धारा अंतर्गत 88,89, 90,91,92,188 RTA	निर्णय दिनांक 27.9.21
समक्ष - श्री हिमांशु शर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री बाबूलाल जैन		अभिभाषक प्रतिवादी श्री हेमन्त राठौर

वाद शीर्षक

राजू उर्फ शिवनन्दन पुत्र रामदयाल मुतबन्ना श्रीलाल जाति ब्राह्मण नि. शाहबाद

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र रामदयाल 2. केशव पुत्र रामदयाल
3. हेमन्त पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण नि. फतेहपुर बारां
4. राजेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण नि. मोतीपुरा तह. अटरू
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण नि. कालोनी शाहबाद
6. विमलेश बेवा कमलकिशोर जाति ब्राह्मण (7) जीतेन्द्र पुत्र कमलकिशोर
8. कौशल्या पुत्री कमलकिशोर (9) ब्रज पुत्र कमलकिशोर (10) प्रिती पुत्री कमलकिशोर जाति ब्राह्मण नि. कालोनी तह. शाहबाद (11) [illegible] तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर के विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर के ख.नं. 2192 रकबा 3.60 हे. ख.नं. 2193 रकबा 0.82 हे., ख.नं. 2197 रकबा 0.57 हे. एवं ग्राम धीजरी की आराजी ख.नं. 8 रकबा 0.16 हे., ख.नं. 21 रकबा 1.56 हे., ख.नं. 22 रकबा 0.48 हे. भूमि पर वादी को 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी क्र. 1 ता 10 को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है प्रतिवादी गण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 27.9.21 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फ्रीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner